

फर्द अहकाम

20

वि. 12

दुतमान बनाम राजू लाल

नाम न्यायालय

उपखण्ड सचिवकारी शिवापुरा

केस संख्या

04 / 2018 उपखण्ड 136 L.R ACT

2018/00059

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
-------------	---------------------------	----------------------	-------------

29/01/18

पार्थी दुतमान पुत्र गणेश कमी (निजोपुरा) ने पार्थना पर कर्नाट काय 136 L.R ACT के तहत दिनांक 13/3/13 के तहसीलशा शाहपुरा के तहसील गुरुत लिजे जाने पर तहसीलशा शाहपुरा ने पर कर्नाट L.R 18/243 दिनांक 29/1/18 के द्वारा अपनी रिपोर्ट लिखवाते हुए राजस्व लिफाई में कुल्सी लिजे जाने की अभिवेधा की है। पार्थना पर इज्जत गजिर ही।

पार्थी के पार्थना पर एवं तहसीलशा शाहपुरा की रिपोर्ट का हवलोकन पर पाया गया कि ग्राम डोरपुरा तहसील शाहपुरा के आबादी क्र. 2118 (ख. 1-74 ई० में पार्थी दुतमान पुत्र गणेश का हिस्सा 1/3 था तथा उक्त हिस्से का कोई बेचान नहीं किया गया था लेकिन वर्तमान जमाबंदी सं. 2073-76 में पार्थी के हिस्सा 1/3 के जोरी देवी वलिन (गुल्लाराम) के नाम सहवन से दर्ज कर लिया गया जबकि पार्थी ने आबादी ख. नं. 2125 (ख. 0-36 ई० में 1/3 हिस्सा गोरी देवी के बेचान किया गया जिसका भा. सं. 728 दि. सं. 1/6 खाला गमा तथा जमाबंदी सं. 2073-76 तहसील करते वफत सहवन से क्र. नं. 2118 ख. नं. 1-74 ई० में पार्थी दुतमान का हिस्सा 1/3 भी ख. नं. 2125 की देवी गोरी देवी के नाम दर्ज कर लिया गया। जबकि ख. नं. 2118 के पार्थी के द्वारा कोई बेचान नहीं किया गया था। पार्थी ने द्वारा गुरुत विक्रम पर 31/1/15 से भी सह है कि पार्थी ने ख. नं. 2125 में अपना हि. 1/3 का ही बेचान किया गया है ख. नं. 2118 में पार्थी हि. 1/3 सहवन से गोरी देवी के नाम दर्ज होना बाम जा रहा है।

अतः पार्थी का पार्थना पर लिफाई लिखा गया ग्राम डोरपुरा तहसील शाहपुरा की जमाबंदी सं. 2073-76 के द्वारा ख. नं. 45 के खजरा नम्बर 2118 (ख. 1-74 ई० में वर्तमान इन्डाज के स्थान पर दुतमान धराण पुत्र गणेश कमी (निजोपुरा) 1/3 गोरी देवी वलिन (गुल्लाराम) हि. 1/3 के नाम की रिपोर्ट R.M.G. डे. शांला जोरी मुहंमिन के नाम राजस्व लिफाई में डमलाराम देव तहसीलशा शाहपुरा के लिखा जाये। परबंदी के लिये गुल्लाराम लिफाई लिख परत ही।

(रवि विजय)
उप खण्ड अधिकारी